न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–दतिया

1. हरीराम पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद
2. रामसेवक पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद
3. नंदराम पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद
4. भगवान दास पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद
   निवासीगण – बक्शी हनुमान के पास दतिया
5. मुन्नी देवी पत्नी साहिब सिंह
   निवासी – हनुमान गढी के पास दतिया (म.प्र.)

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1. सीताराम पुत्र श्री पजन प्रजापति
2. लालाराम पुत्र श्री पजन प्रजापति
3. रामबाबू पुत्र श्री पजन प्रजापति
4. प्रकाश पुत्र श्री पजन प्रजापति
   निवासी – खलका पुरा हाल सिगलपुरा दतिया (म.प्र.)
5. बल्ली पुत्र श्री घुस्से पाल
   निवासी – ग्राम सिखरी हाल निवास सिगलपुरा नगर दतिया (म.प्र.)

.......अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 135/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 26.07.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, आवेदकगण द्वारा अपने स्वत्व स्वामित्व की भूमि जोकि मौजा दतिया गिर्द में स्थित है कि उक्त आराजी क्रमांक 22/9/3/1/ग/1 रकवा 0.688 एवं 22/9/3/1/ग/3 रकवा 0.081 है0 का सीमांकन कराये जाने बावत् आवेदन पत्र तहसीलदार दतिया के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 41/अ–121/2010–11 प्रस्तुत किया गया था जिसमें राजस्व निरीक्षक को सीमांकन का पत्र जारी किया गया एवं राजस्व राजस्व निरीक्षक वृत दतिया द्वारा उपरोक्त भूमि का विधिवत् सीमांकन आदेश दिनांक 30.05.2011 पारित किया।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक– निगरानी–2607–एक/2016 जिला–दतिया

हरीराम आदि विरूद्ध सीताराम आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
02–05–2019	आवेदक की ओर से श्री के.के. प्रजापति एवं अनावेदक की ओर श्री दिवाकर दीक्षित अभिभाषक उपस्थित। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग दतिया, जिला–दतिया के प्रकरण क्रमांक 135/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 26–07–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई थी। पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 04–08–2016 से निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त किये। राजस्व मण्डल के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन क्रमांक 6998/2016 प्रस्तुत की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 20–01–2017 को राजस्व मण्डल का आदेश निरस्त कर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरांत नये शिरे से आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया है। राजस्व मण्डल का आदेश दिनांक 04–08–2016 निरस्त हो चुका है और म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरूद्ध निगरानी में सुनवाई का अधिकारी इस न्यायालय को नहीं होने से प्रकरण कलेक्टर, जिला–दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 3/ पक्षकार दिनांक 13–06–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य	